www.MINEPORTAL.in

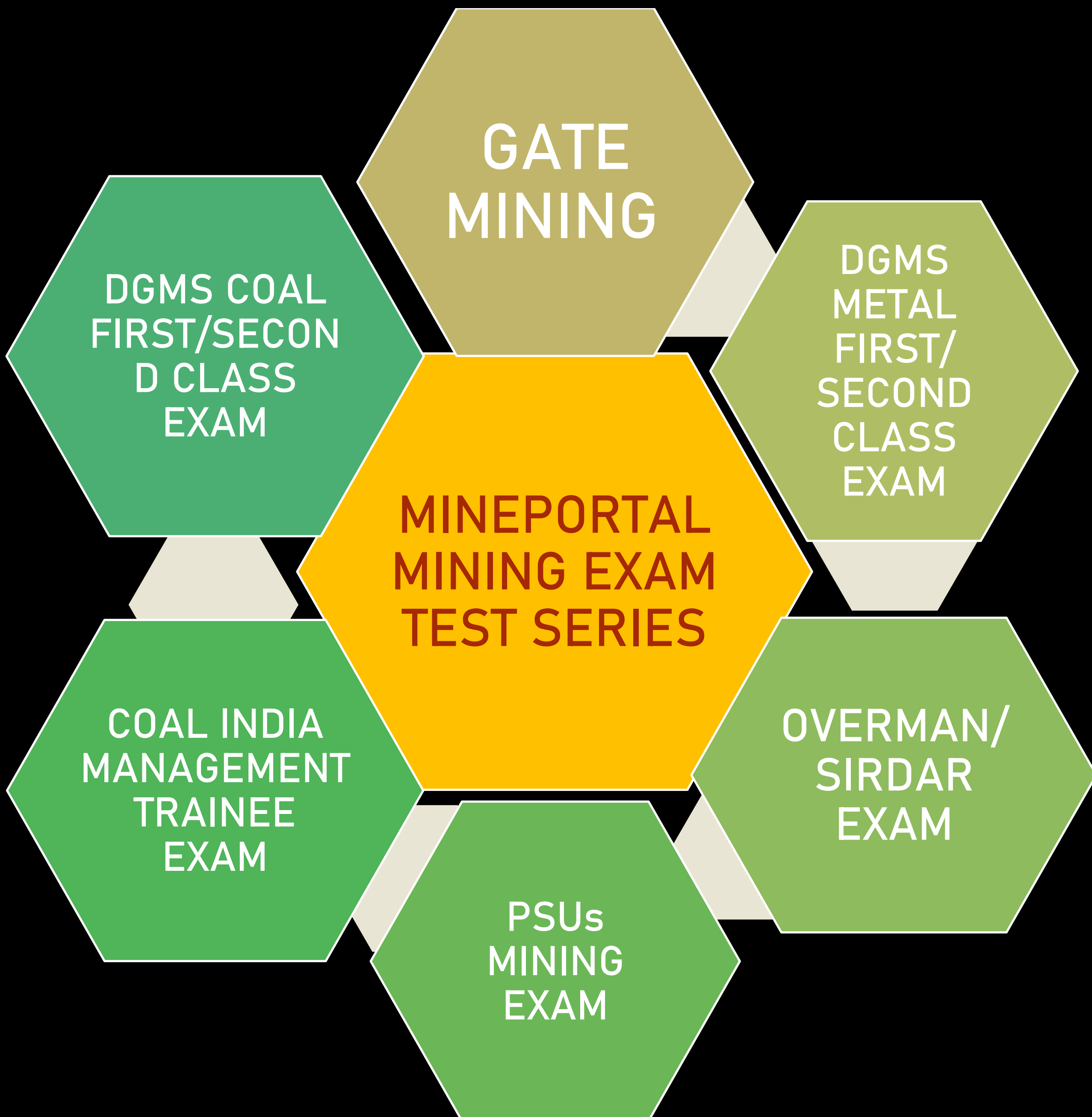

CALL/WHATSAPP- 8804777500

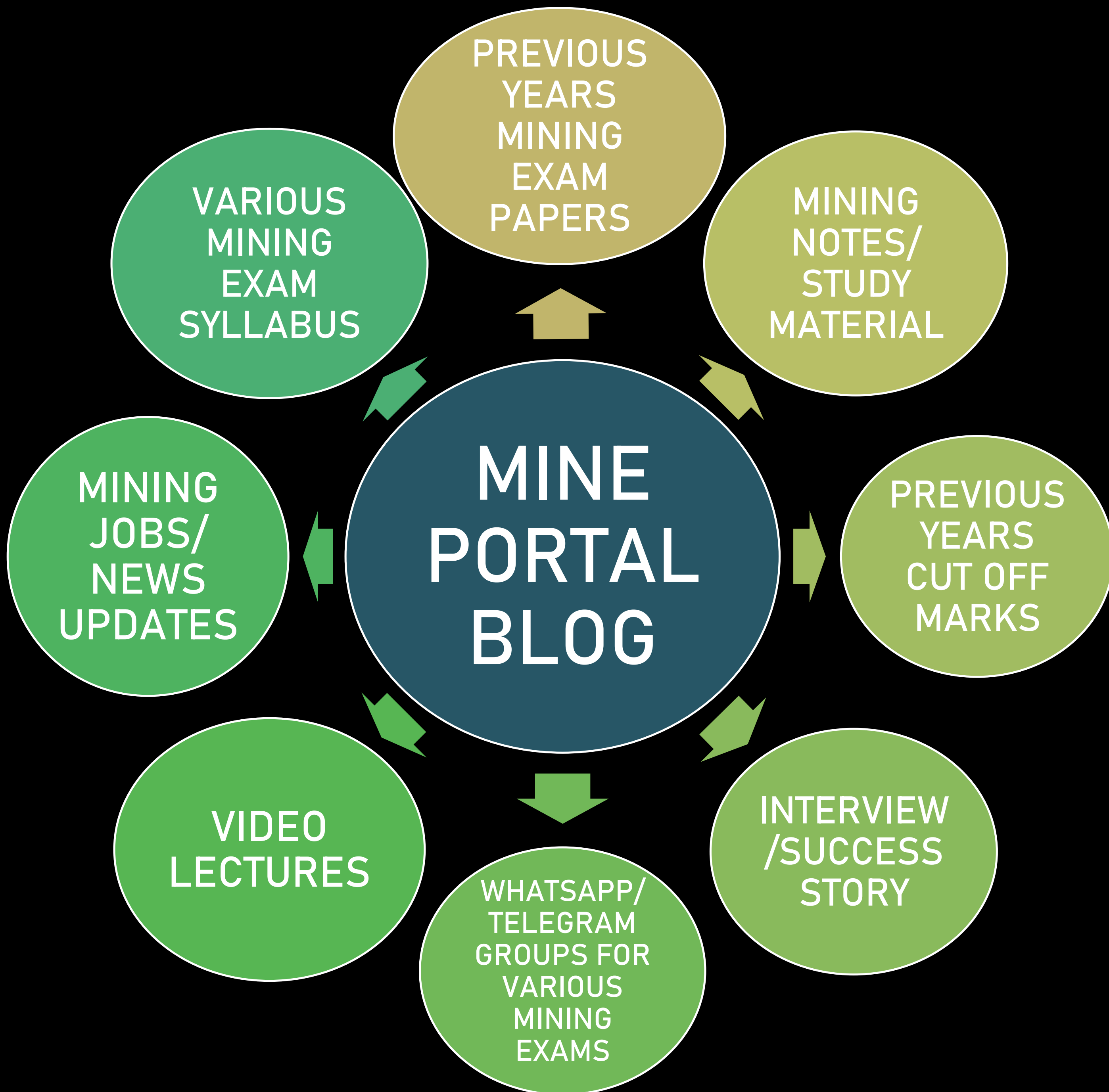

SEARCH ‘MINEPORTAL’ IN TELEGRAM TO JOIN VARIOUS MINING EXAM GROUPS

WHATSAPP YOUR EXAM NAME TO 8804777500 TO JOIN MINEPORTAL VARIOUS MINING EXAM GROUPS

MINING OFFICER VACANCY IN UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in

☎ 01334-244143
01334-244282(F)
7060002410

विज्ञापन संख्या– A-1/DR/S-3/2021 दिनांक : 02 सितम्बर, 2021

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय में रिक्त सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी (समूह–'ख') परीक्षा–2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	02 सितम्बर, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	22 सितम्बर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क –Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	22 सितम्बर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	::	07 अक्टूबर, 2021 (सायं 6:00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र, ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक **22 सितम्बर, 2021** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) अंकित करें। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।**

3. **प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार नगर) के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। जिसमें सभी अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने की दशा में सहायक भू–वैज्ञानिक की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम**

परिशिष्ट–1 पर तथा खान अधिकारी की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध है।

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन–पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

5. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवश्य अवलोकन कर लें। साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित प्राविधानुसार सम्पादित की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

6. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी शैक्षिक अर्हता का उल्लेख करेगा तथा दोनों पदों हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता जो वह धारित करता हो के अनुसार आवेदन कर सकता है। **प्रश्नगत दोनों पदों हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है।** आवेदित दोनों पदों को भरने हेतु निर्धारित शुल्क पृथक–पृथक जमा करना होगा। यदि एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी सहायक भू–वैज्ञानिक (परीक्षा शुल्क– रू0 150 + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55/– = कुल रू0 176.55/–) एवं खान अधिकारी (परीक्षा शुल्क– रू0 150 + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55/– = कुल रू0 176.55/–) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तो वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु उसे दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क का योग रू 353.10/– परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

7. प्रश्नगत परीक्षा में श्रेणीवार/उपश्रेणीवार साक्षात्कार परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

8. स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जारी किये जायेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कार की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** तथा दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी।

9. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ समस्त स्वहस्ताक्षरित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि से संबंधित **परिशिष्ट–4** में उल्लिखित सूची के अनुसार **प्रत्येक आवेदित पदों के सापेक्ष पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन पत्र व समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय** में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/किसी अन्य माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर, निर्धारित अंतिम तिथि **22 सितम्बर, 2021** समय सांय 6:00 तक

जमा कराना अनिवार्य है। समस्त वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा और पद का नाम अवश्य अंकित करें। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। **जो अभ्यर्थी उपरोक्त दोनों पदों हेतु आवेदन करेगें, वे आवेदित दोनों पदों हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन पत्र व समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय को निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

10. आयोग में ऑनलाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन–पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा पदनाम, अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11. अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। **अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा।**

12. फर्जी प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

13. प्रश्नगत् परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं ऑनलाइन शुल्क **[Net Banking/Debit Card/Credit Card]** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी अन्तिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही "Online Application" की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**

15. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन–पत्र भर लें।

16. यदि अभ्यर्थी की अंक–तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA,OGPA,SGPA etc.) में हो तो अंक तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य

है। साथ ही ग्रेड गणना को प्रतिशतता (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–07** में निर्धारित प्रारूप पर साक्षात्कार से पूर्व समस्त अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र संलग्न न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय में सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु सीधे साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जाएगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है।

01. रिक्तियों का विवरण : (सहायक भू–वैज्ञानिक–05 पद, खान अधिकारी–03 पद)।

क्र. सं.	पदनाम	श्रेणी	पद	उपश्रेणी				
				उत्तराखण्ड महिला	पूर्व सैनिक	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित	दिव्यांगजन	अनाथ बच्चे
1	**सहायक भू–वैज्ञानिक**	अनारक्षित	**03**	01	–	–	–	–
		अनुसूचित जाति	**01**	–	–	–	–	
		अनुसूचित जनजाति	**–**	–	–	–	–	
		अन्य पिछड़ा वर्ग	**01**	–	–	–	–	
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**–**	–	–	–	–	
		कुल	**05**	01	00	00	00	00
2	**खान अधिकारी**	अनारक्षित	**03**	01	–	–	–	–
		अनुसूचित जाति	**–**	–	–	–	–	
		अनुसूचित जनजाति	**–**	–	–	–	–	
		अन्य पिछड़ा वर्ग	**–**	–	–	–	–	
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	**–**	–	–	–	–	
		कुल	**03**	01	00	00	00	00

नोटः– **1. राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।**
2. प्रश्नगत पद दिव्यांगता की किसी भी उपश्रेणी हेतु चिह्नांकित नहीं हैं।

02. विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण :

1. सहायक भू–वैज्ञानिक

(i) पदों की संख्या– 05 [अनारक्षित–03 (01 पद उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित), अनुसूचित जाति–01 , अन्य पिछड़ा वर्ग–01]

(ii) वेतनमानः–रू15600–39100,ग्रेड पे रू5400,

पुनरीक्षित वेतनमान रू 56,100–1,77,500 / –मेट्रिक लेवल–10।

(iii) पद का स्वरूप व पेंशन योजनाः–राजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएंः–

(अ) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान या प्रयुक्त भू–विज्ञान में कुल योग में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि।

(दो) क्षेत्र कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

नोट– सहायक भू–वैज्ञानिक पद हेतु संबंधित क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए।

(ब) अधिमानी अर्हता –

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

नोट– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–05(1) पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपल्ब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।

2. खान अधिकारी

(i)पदों की संख्या– 03 [अनारक्षित–03 (01 पद उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित)]

(ii) वेतनमानः–रू 15600–39100,ग्रेड पे रू5400,

पुनरीक्षित वेतनमान रू.56,100–1,77,500 / –मेट्रिक लेवल–10।

(iii) पद का स्वरूप व पेंशन योजनाः–राजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

(iv) अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएंः–

(अ) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता–

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से खनिकर्म अभियन्त्रण में उपाधि।

या

(दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनिकर्म अभियन्त्रण में डिप्लोमा के साथ खनिज संचालन के पर्यवेक्षण का कम से कम एक वर्ष का अनुभव और वृहत् और लघु खनिज समानुदानों से संबंधित कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।

या

(तीन) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में परास्नातक।

(ब) अधिमानी अर्हता – पिट्स माउथ वेल्यू और खनिजों पर स्वामित्व (रायल्टी) निर्धारण का अनुभव।

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने –

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>नोट–</u> 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–05(2) पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2.केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।

03. <u>भर्ती की प्रक्रिया</u>– संगत सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली, 1983 के नियम–15(2) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को, **जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने वह उचित समझे।**

04. <u>आयु सीमा</u> :–(1) सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी के पदों हेतु आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–**264/XXX(2)/2021-30(10)2019, दिनांक 27 अगस्त, 2021** के क्रम में समूह 'ख' के पदों पर चयन वर्ष 2021–22 में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छुट प्रदान की गयी है। इस प्रकार **सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी** के पदों हेतु **न्यूनतम आयु सीमा 21 एवं अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष निर्धारित है।** आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् व 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2)<u>अधिकतम आयु सीमा में छूट</u> :– विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

05. <u>राष्ट्रीयता</u> :

सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी,1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

06. चरित्र :– सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। राज्यपाल इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

07. वैवाहिक प्रास्थिति :– सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

08. शारीरिक स्वस्थता :–किसी अभ्यर्थी को सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी के पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हेण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में सफल पाया जाय।

09. आरक्षण :–

(क) उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य की **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, एवं अन्य उपश्रेणियों यथा उत्तराखण्ड महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक** अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्वाधर/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड

राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनाथ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित श्रेणी (सामान्य श्रेणी) के अंतर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020–53(01)/2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(ङ.) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(च) ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–6"** में उल्लिखित प्रारुप/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–6"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(छ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। **शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02. 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक**

है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य वैध होना चाहिये।

(ज) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(झ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

10 .ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :—

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में Apply Now लिंक पर क्लिक करें। Apply Now page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् खुले Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते है Tick करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहतें है उसके समक्ष Tick करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदशित होगा।

फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation etc का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। Graduation का विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation/Post Graduation

Details में Qualification Type में पुनः Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें।

उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में **त्रुटि होने पर** अभ्यर्थी अपना **आवेदन रद्द (Cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। **आवेदन रद्द (Cancel)** करने के लिए Login कर Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पजींकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको की Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन **रद्द (cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information , Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक पद हेतु 26.55 रूपये है।)**

4. **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना

होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

11. **<u>शुल्क</u>** **:–**प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र. सं. (Sr. No.)	**श्रेणी (Category)**	**आवेदन–शुल्क (Aplication Fee)**	**प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fee with Tax)**	**कुल शुल्क (Total Fees)**
01.	अनारक्षित (General)	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
02	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	रू0 150/–	रू0 26.55/–	रू0 176.55/–
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)	रू0 60/–	रू0 26.55/–	रू0 86.55/–
06.	राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे (Orphan)	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	–

<u>नोट :– 1.</u> उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक अभ्यर्थी एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उसी गुणांक में परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। उदाहरणार्थ– यदि एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी सहायक भू–वैज्ञानिक (परीक्षा शुल्क रू0 150/– + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55/– = कुल रू0 176.55/–) एवं खान अधिकारी (परीक्षा शुल्क रू0 150/– + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55/– = कुल रू0 176.55/–) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तो वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु उसे दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क का योग अर्थात रू0 353.10/– परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

12. **<u>अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश</u>** :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 यथा संशोधित प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 एवं चतुर्थ संशोधन–2016 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है** तथा जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैः–

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि अधिमानी अर्हता के आधार पर अनर्ह किए गए अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा किन्तु अभ्यर्थी के अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र में धारित अनुभव विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं है अथवा उसके पश्चात धारित है तो ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य अनुभव धारित नहीं माना जायेगा। अनुभव प्रमाण–पत्र में विभागीय संदर्भ संख्या एवं विभागीय सक्षम अधिकारी का पदनाम व स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित होना आवश्यक है।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व/तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में

किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट की प्रति के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, नाम में भिन्नता सम्बन्धी शपथपत्र, ऑनलाइन जमा की गयी परीक्षा शुल्क की रसीद आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की वैध छायाप्रतियॉ आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा की गयी हों तथा आयोग में प्राप्त उक्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 यथा संशोधित के आलोक में अर्ह पाया जाएगा।** उक्त सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 आयोग की बेवसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(05) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(06) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल ukpschelpline@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र'** अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में साक्षात्कार से पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी। **सहायक भू–वैज्ञानिक पद हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परिशिष्ट–1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें 03 घंटे की समयावधि में 200 अंको के 200 प्रश्नों को किया जाना निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार खान अधिकारी पद की स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) परिशिष्ट–2 में उल्लिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें 02 घंटे की समयावधि में 200 अंको के 100 प्रश्नों को**

किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(09) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(10) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) उत्तर कुंजी आपत्ति– स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(12) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(14) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की

अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(15) **परीक्षा केन्द्र में आचरण** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(16) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**–सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(17) स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में साक्षात्कार के अंकों के साथ नही जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 100 अंक निर्धारित किये गये हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार का परिणाम आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(18) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

(19) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट हेतु विचार किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंकों का विवरण **परिशिष्ट–3** पर उल्लिखित है।

(20) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(21) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(22) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(23) **हाईस्कूल प्रमाण–पत्र** में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने पर आवेदन अस्विकृत कर दिया जायेगा।

(24) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(25) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(26) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः–** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(27) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध

में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(28) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(29) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(30) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(31) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(32) सम्बन्धित पदों हेतु चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(33) अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदनपत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(34) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(35) **आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।**

-Sd/-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

Syllabus for Assistant Geologist Screening Exam
(Indstrial Development Department)

Number of Question-200 **Maximum Marks: 200**
Time: 3 Hours

(This Syllabus have five parts, 40 questions must be selected from each part)

Part -1

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit 1- General Geology and Geomorphology: Origin, age and interior of the earth; Fundamental principles of Geomorphology; Cycle of erosion; Landscape evolution; Weathering and soil formation; Glacial, aeolian, fluvial, lacustrine, coastal, Karst and volcanic landforms; Ocean bottom topography; Drainage development and slope morphology: Landforms of Himalaya.

Unit 2-Remote Sensing: Concepts of Photogrammetry; Aerial photographs, Principles of photo and image interpretation; photo elements, geotechnical elements, interpretation of aerial photographs and satellite imageries related to lithology, structure, mineral and ground water exploration; Fundamental concepts of remote sensing; Electromagnetic spectrum and its interaction with atmosphere and earth surface objects; Atmospheric windows; platforms; Sensors: active and passive; Sensors on LANDSAT, SPOT and IRS; Digital image processing; Image enhancement and classification; Microwave remote sensing: Principles and uses; Concepts of GIS; Data structures in GIS: Spatial, Non-spatial, Raster and Vector; Spatial Data Analysis and Modelling: DEM,TIN, DTM.

Unit 3-Structural Geology: Concept and measurement of stress and strain; Strain and stress ellipsoids; Classification and mechanics of folds, faults/thrust, joints, lineation and foliation; Unconformities; Boudins; Structural behaviour of igneous rocks; Diapers and salt domes; introduction to petrofabrics.

Unit 4- Global Tectonics: Structural control in basin development; Orogeny and epiorogeny; Rift valleys and grabens; Isostasy; Island arcs; Shields and cratons, Continental drift; Sea floor spreading; Plate tectonics; Geomagnetism and palaeomagnetism; Neotectonics and active tectonics: Tectonic geomorphology; Structure, tectonics and origin of the Himalaya.

Part -2

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit 1-General Palaeontology and Palaeobotany: Origin of life; Organic evolution, migration, dispersal and extinction, Early Precambrian life; Ediacaran fossil assemblage; Stromatolites, Trace fossils; Types, mode of preservation, significance and nomenclature of fossils; Biotic distribution; Zoogeographic provenance; Morphology, distribution and significace of Godwana flora.

Unit 2- Invertebrate, Vertebrate Palaeontology and Microfossils : Morphology, geological history, brief evolutionary trends and modes of life of Bivalvia,Gastropoda,Cephalopoda,Echinoidea, Cnidaria, Trilobita and Graptiolithina. Evolution of Vertebrates; Evolution of man, horse, elephant and mass extinction of Dinosaurs; Siwalik Vertebrate fauna; Study of microfossils with special reference to foraminifera, radiolaria, ostracods, diatoms, conodonts and their applications to palynology, palaeoclimatology and oil exploration.

Unit 3-Principles of Stratigraphy: Principle of Stratigraphy; Geological time scale, Stratigraphic correlation; Code of stratigraphic nomenclature; Brief idea about magnetostratigraphy and seismic stratigraphy; Facies concept in stratigraphy, Walther's Law, Palaeogeography and palaeoclimate during different geological periods; Stratigraphic nomenclature and various schemes namely, Lithostratigraphy, Magnetostratigraphy and Allostratigraphy.

Unit 4- Precambrian and Phanerozoic Stratigraphy: Evolution of Greenstone belts and high-grademetamorphic terrains during Precambrian;

Mobile Belts; Unmetamorphosed Proterozoic successions of India, namely Aravalli, Dharwar, Bastar, Singhbhum, Kaladgi, Cuddupah, Vindhyan, Chattisgarh, Kurnool, Bhima, Marwar and Lesser Himalayan sedimentary belts; Precambrian-Cambrian boundary; Global Precambrian events. Palaeogeography and important events of the Palaeozoic Era; Permian-Triassic boundary; Marine Triassicsequences of the Himalaya; Gondwana Super group; Global events of Jurassic and Cretaceous periods; Jurassic successions of western India; Cretaceous successions of kavery basin and Narmada valley; Cretaceous-Tertiary (KT) boundary; DeccanVolcanics and associated sedimentary beds (Infra and Inter Trappean). Palaeogene and Neogene global events and successions in India; Neogene-Quaternary boundary; Evolution of the Indo-Gangetic Plain; Quaternary time and its significance; Climatic cycles during Quaternary; Milankovitch cycles; Terminal Pleistocene-Holocene climatic and sea level changes.

Part- 3

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit 1- Igneous petrology: Magmatic differentiation- mechanism and effects; Magmatic crystallisation- Bowen's reaction principle; Crystallisation of bi-component magma,Ternary magma (Ab-An-Di system and An-Di-Fo, system) Gibb’s phase rule- defination of phase, component and degree of freedom; Application of phase rule in bi-component and tri-component magma; Texture and structures of igneous rocks; Classification of igneous rocks (only IUGS); Granite and other granitoid rocks and ophiolite: Petrological characters of common rock association; Variation diagrams: Magma generation in the crust and mantle; Differentiation of Magmas; Layered basic Intrusives; Petrogenesis and petrography of Granites, Kimberlites, Komatiites, Carbonatites, Aplite, Anorthosite, Andesite, Basalt, Charnockite, Diorite, Dunite, Dacite, Doletite, Gabbro, Granodiorite, Lamprophyre, Monzonite, Pegmatite, Phonolite, Peridotite, Syenite, Trachyte, Tephrite, Tonalite.

Unit 2- Sedimentary petrology/Sedimentology: Sediment characteristics and their analysis; Concept of flow regime and bed forms; Principles of facies

analysis; Transgressions- Regressions; Principles of sequence stratigraphy; Faciesmodeis and depositional sequences of fluvial, delta, tidal-flats and deep-sea regions; Classification of major sedimentary rocks; Diagenesis of sand stones and carbonates; Principles of basin analysis; Sedimentary basins of India; Important Sedimentary structures; Petrogenesis and petrography of the rock types, namely Argillite, Arkose, Breccia, Chert, Claystone, Conglomerate, Dolomite, Evaporite, Greywacke, Limestone, Marl, Mudstone, Sand stone.

Unit 3- Metamorphic petrology and Geochemistry: Elementary concepts of thermodynamics: Entropy, Enthalpy, Gibb's Free Energy, Activity, Fugacity, Equilibnum constant; Laws of thermodynamics Application of Trace and Rare Earth Elements (REE) in Petrogenesis; Use of stable isotopes of Oxygen, Hydrogen, Carbon, Sulphur and Strontium; Factors controlling metamorphism, Textures and structures of Metamorphic rocks; Basic concept of P-T-T paths;
Concept of Metamorphic facies, Metamorphic grades and index minerals, Regional Metamorphism in relation to Plate Tectonics, Metasomatism and metamorphic differentiation, Petrogenesis of granulites and Eclogites, Origin and structure of migmatites, ACK and AKF diagrams, Inverted metamorphism of Himalaya and Himalayan Metamorphism, Petrogenesis and Petrography of the rock types, namely Amphibolite, Blueschist, Eclogite, Gneiss, Granulite, Greenschist, Hornfels, Marble, Migmatite, Mylonite, Phyllite, Quartizite, Schist, Serpentinite, Khondalite, Gondite, Abundance of elements in the Cosmos and Earth; Geochemical differentiation of the earth; Goldschmidt’s geochemical classification of elements; Geochemical cycle; Principles of ionic substitution in minerals; Distribution coefficient.

Unit 4-Crystallography and Mineralogy: Fundamentals of mineral Chemistry; Ionic Radii; Co-ordination number and bonding forces; Symmetry elements; Repetition theory: Hermann-Mauguin symbols; Plane lattice; unit cells; Bravais lattices and space groups; Crystal forms; Symmetry classes and crystal systems; Crystal structure, Polymorphism; Isomorphism; Physical, chemical and optical properties of minerals; Crystal defects and Crystal imperfections; Gems and semi-precious stones; Important Carbonate, Halide, Hydroxide, Native element, Oxide, Phosphate, Silicate and Sulfide

groups of minerals; Different types of crystal projections-Spherical and Stereographic; Twinning and twinning laws; Common types of twins and their examples.

Part- 4

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit 1- Engineering Geology: Engineering properties of rocks, Rock mass classification; Behaviour of rock on application of stresses, Mohr's failure criteria; Tunnels, their types; Tress conditions in tunnels; Site selection for tunnel excavation and support; Earthquake resistant structures; Dams and their types; Geotechnical problems associated with bridges and dams; site selection for dam construction; Case studies of Indian dams; Bhakra, Tehri and Idduki Dams; Site selection for the construction of roads and bridges in hilly terrains; Landslide classification, causes, preventive meathods and landslide hazard zonation maps, Underground excavations; Problems and remedies.

Unit 2- Environmental Geology: Scope of Environmental Geology; Earth as a System; Ecosystem; Global Biogeochemical cycle; The Gaia hypothesis; Concepts of Environmental Geology, Application of Geology to sustainable development; Geological causes of environmental degradation- lithological, structural, geomorphological and anthropogenic causes, Soil pollution and desertification; Environmental Impact Assessment (EIA), Eco-tourism, Sediment pollution and its role in environmental studies; River water Pollution; Ground water pollution, Water quality, Nitrate hazard, Fluorine and Arsenic Pollution, Waste Disposal; Management and recycling; Fly-ash; Greenhouse effect, Global warming and related environmental problems; Environmental Protection Law, Types and distribution of natural hazards; Floods, their type and distribution, flood hazard zonation; Tsunamis: Causes and distribution; Cyclones in the Indian seas; Landslides: their types; Earthquake: Fundamental Concepts; Seismic zonation map of India; Avalanches.

Unit 3- Hydrogeology: Hydrological cycle; Occurrence of Ground water: Genetic Classification of water, Darcy's law: Water-bearing characteristics of rocks; Types and characteristics of Aquifers and springs; Artificial recharging of aquifers; Techniques of Ground water exploration; Saline water intrusion; Types of wells; Ground water regimes of India; Rain water Harvesting.

Part-5

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit 1- Economic mineral Deposits and Energy Resources: Controls of ore localization; Magmatic deposits; Chromium and Platinum Group of element (PGE) deposits; Hydrothermal deposits; Porphyry; Copper deposits and Gold in Archean and Proterozoic terrains; Place deposits; Ores related to weathering processes; Bauxite and Laterite; Sediment hosted Copper, Lead-Zinc deposits Iron and Manganese ores of sedimentary affiliation; Origin of Manganese nodules; Generation of Hydrocarbons, Migration of hydrocarbons; Structural, Stratigraphic and combination traps; Reservoir characteristics; Gas hydrates; Coal Bed methane; Shale Gas; Hydrocarbon occurrences of Assam, Cambay, Bombay High and Krishna-Godavari areas; Origin and Distribution of Coal deposits of India; Atomic Minerals in India, Geothermal energy resources of India.

Unit 2- Mineral Exploration and Geophysics: Methods of mineral prospecting, Geological, Geochemical and Geobotanical, Methods of sampling, Assaying and evaluation of mineral deposits; Classification of mining methods, Open cast Mining, underground mining, Ore dressing, national Mineral Policy, Densities of rocks and Gravity anomalies, Magnetism, Geomagnetism and Palaeomagnetism, Electrical properties and Resistivity surveying, Vertical Electrical Sounding (VES), Electrical Imaging; Magnetotelluric Surveying (MT), Seismic Prospecting.

Unit 3- Geological instrumentation and Field Geology: Toposheet study, Satellite Imagery and Aerial Photograph: Total Station; Petrological Microscope: X-ray Diffraction (XRD); Atomic Absorption Spectro-photometer (AAS); Scanning Electron Microscope (SEM), Ground

Penetrating Radar (GPR), Global Positioning System (GPS); Induced Couple Plasma Mass Spectro-photometer (ICPMS); Electron Probe Micro Analyser (EPMA): Computer applications in Geology.

"परिशिष्ट–2"

Uttarakhand Public Service Commission

Syllabus for Mining Officer Screening Examination (Objective Type)

Time: 2 hours Questions: 100 Marks: 200

Part – 1 MINING ENGINEERING:-

Aspects of Mining

Overview of unit operations in surface and underground mines; Evolution of mining and mining process flow; Mineral deposits: Types and classifications.

Opening up of mineral deposits for mining through adit, incline, decline and shaft.

Drivage of drifts and main development headings: Conventional and Mechanized methods; Special methods through loose, fractured, flowing and water bearing ground; High speed drivages; Supports and Reinforcement for tunnel or drift.

Explosives: Types of explosives, their composition and properties, classification; Selection of explosives; Manufacture, transport, storage and handling of explosives; Testing of explosives; Types of initiating systems – Electrical Detonators, Detonating Fuse, Detonating Relays, NONEL, Electronic Detonators, Blasting accessories, exploders.

Assessment of blast induced damages etc.

Mine Surveying

Linear measurement; EDM: Theory and principle; Angular and Bearing Measurement: Compass, Modern Theodolite, Gyro-theodolite & Gyromat; Temporary and permanent adjustments; Leveling: Instrument, Methods, Contour: Characteristics, methods, uses; Tachometry; Triangulation and Trilateration; Correlation; Development & Underground surveying; Setting out curves; Photogrammetry; Field astronomy; Total Station; GPS and GNSS, Terrestrial and air borne laser scanners; Mine Plans and sections: Relevant rule and regulations, Application of GIS and remote sensing, Earth work calculations. Map projections: National Grid and Geodetic

Coordinate Systems; Traverse adjustments; Theory of errors and adjustment.

Mine Geology

Geological bodies and their structures: Rock: Types of rocks; Textures and structures; Concepts of palaeontology; Mineral: Classification of minerals and properties of common silicate minerals, batholith, dyke, sill, fold fault, joint, unconformity; Economic Geology and Exploration Geology: Processes of ore formation; Major Indian mineral deposits.

Surface and Subsurface Mine Environment

Surface Environment: Air, water and soil pollution; Standards of quality, causes and dispersion of contamination, and control; Noise; Physiological effects, measurement and control measures of various pollution due to Mining.

Land reclamation: Environmental factors affecting revegetation; EMP and EIA, Planning and assessment of land use pattern.

Sub surfacemine environment: Mine fires, Mine explosions, Respirable and airborne dust, Inundation, Heat and humidity, Illumination.

Mine Ventilation: Natural and mechanical ventilation; Mine fans and their usage; Auxiliary ventilation; Ventilation planning; Ventilation networks for mines and tunnel.

Rock Mechanics and Ground Control

Concept of stress and strain in rock; Physico-Mechanical properties of rock and soil.

Rock mass classification; Stress measurement techniques and Instrumentation; Theories of rock failure; Time dependent properties of rock; Stress distribution around mine openings; Rock bursts.

Subsidence: Causes and impacts of subsidence; Mechanics of surface subsidence, discontinuous and continuous subsidence; Monitoring, prediction, control and management of subsidence.

Rock Support: Types of support system in mines and tunnels; Design of support systems in mines and tunnels. Design and stability of

structures in rock. Innovations in support and reinforcement systems for hard rock mines; Design of pillars; Fill support: Materials of backfill and their procurement; Paste fills; rock and concrete fills.

Mine Machinery

Trackless Haulage: Types of conveyors and their applications; Free steered vehicles - shuttle cars, LHD, SDL and low profile dump trucks (LPDT).

Aerial Ropeways: Types, construction and installation. Loading, unloading and angle stations.

Mine Pumps: Types, construction and characteristics, Series and parallel operations of pumps. Borehole and submersible pumps. Slurry pumps.

Rock Drivage Machines: Roadheader. Tunnel Boring Machines.

Underground Face Machinery: Continuous miners, shearers, and powered supports.

Machinery Maintenance: Planned, preventive and predictive maintenance. Routine and remote condition monitoring.

Opencast HEMMs: Construction, operation, and their maintenance.

Mine electrical systems: Generation, transmission and distribution of electrical powers in mines; transmission lines; Protective devices, circuit breakers, gate-end box, electrical drives, electrical breaking, flameproof enclosures and intrinsically safe circuit etc.

Underground Mining Method

Underground mining methods: Classification, selection imperatives.

Underground coal mining: Different Coal Mining methods, their applicability and limitations.

Underground Metal Mining: Different Metal Mining methods, their applicability and limitations. Basic concept of transportation, ventilation, illumination and support in underground mines.

Drilling & Blasting in Underground Mines: Drilling systems and their applicability, blasting-off-solid, different blasting cuts, ring hole blasting, calculation of specific charge, specific drilling and detonator

factor, initiation patterns; blast design for horizontal drivages, different blasting cuts, long hole blasting, vertical crater retreat blasting.

Surface Mining

Deposits amenable to surface mining vis-à-vis excavation characteristics; Surface mining unit operations; Surface mining systems vis-à-vis equipment systems – classification, applicability, advantages and disadvantages.; Opening of Deposits; Overburden Removal; Basic Layouts; Opening of deposits: Box cut.

Different methods of excavations and transportation: cyclic/discontinuity method, semi-continuous method, continuous method. Dimensional stone mining.

Drilling & Blasting in Surface Mines: Blasthole drills – types, classification, applicability and limitations; Mechanics of drilling, performance parameters, drilling cost, compressed air requirement for hole cleaning; Selection of drilling systems, drilling errors, organization of drilling.

Blasting - Mechanics of rock fragmentation; Livingstone theory of crater formation; Factors affecting blasting, Blast design - estimation of burden and spacing, estimation of charge requirement; Initiation patterns; Secondary blasting – pop and plaster shooting; Problems associated with blasting, Ground vibration and air over pressure, Blast instrumentation.

Transport: Classification, choice and performance of various transport systems. Dumpers, rail transport, belt conveyers, in-pit crushing and conveying, high angle conveying. Optimization of shovel-dumper combination, Haul road design.

Design and Monitoring of Rock and Dump Slope: Factors affecting slope stability; Slope stabilization techniques; Types of slope failure; Analysis of slope failure; Stability analysis of dump and rock slope; Monitoring of slopes: Geodetic, geotechnical, geophysical and Radar techniques.

Landslide: Types and hazards mitigation.

Reclamation: Methods of reclamation of mined out areas, dumps and tailings pond, mine closure planning.

Strip mining, Placer mining; Mining of hilly ore deposits.

Mine Legislation, Safety and Mining Laws

Development of Mining Legislations in India; Provisions of Mines Act and Mines rules; Coal Mines Regulations and Metalliferous Mines Regulations; Electrical safety in mines.

General provisions of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act; Mining laws related to lease allocation, Lease renewal, DMF and other related regulations and circulars; Mineral Concession Rules, Coal Mines (Conservation and Development) Act, Workmen’s Compensations Act and Industrial Disputes Act. Relevant provisions of Indian Electricity Rules, Indian Explosives Acts and Rules.

Principal provisions of rescue rules, mine vocational training rules, explosive rules (related to mines); Electricity rules applicable to mines and oil fields. Principal provisions of industrial dispute act, workmen's compensation act, trade union act, payment of wages act and minimum wages act. Important technical circulars issued by DGMS.

Safety management, risk assessment and management, mine accident analysis, safety audit and control.

Mine Economics and Mine Planning

Mineral Economics: Special features of mineral and mining industry, statistics of important and strategic minerals of India, Mineral resource of Uttarakhand; Mineral resource classification and estimation, Mineral Inventory, Conservation of minerals. National mineral policy; Global mineral marketing.

Sampling and Estimation of Reserves: Methods of sampling during exploration, mining and dispatch. Records and analysis of core sampling data, grade and specification.

Economic Evaluation: Break-even analysis; Economic appraisal of capital investments by NPV and IRR methods; Comparison of investment alternatives; Feasibility studies; Price forecasting and sensitivity analysis;Capital and operating cost.

Mine Planning: Components, planning steps and planning inputs; Ore reserve estimation; Stripping ratio; Pit cut-off grade estimation; Ultimate pit design and configuration.

Analysis of geological data; Marketability of the mineral safety aspects; Economic evaluation of the mining projects.

Computer Applications in Mining

Recent development in IT and automation in mines, OITDS, driverless HEMMs, computer Aided, Reserve estimation, application of IT in mine surveillance system communication etc. Use in mine safety and disaster management, automated rock slope and dump slope monitoring, mine modeling and simulation, computer aided mine planning equipment and other resources scheduling; Mine Information System.

PART-2 GEOLOGY:-

Structural Geology

- Mechanics of folding and buckling. Fold development and distribution of strain in folds. Superposed folding and interference patterns.
- Fractures and joints, their nomenclature, age relationship, origin and significance.
- Causes and dynamics of faulting. Strike-slip faults, normal faults, over thrust, nappe and window.
- Planar and linear fabrics in deformed rocks, their origin and significance.
- Concept of Petrofabrics and tectonics axes.
- Types of fabric, fabric elements, and interpretation of fabric data on microscopic and macroscopic scale.

Geomorphology & Remote sensing

- Dynamics of geomorphology and geomorphic processes.
- Study of fluvial, arid, karst and glacial landforms.
- Study of volcanic, structural and coastal landforms.
- Morphometric analysis. Geomorphologic mapping based on genesis of landforms.
- Geomorphic regions of India.
- Electromagnetic spectrum and principles of remote sensing.
- Satellite Remote Sensing, global and Indian space missions, satellite exploration programmers and their characteristics- LANDSTA, METEOSAT, SEASETSPOT, IRS and CARTOSAT.
- Aerial photography, aerial photographs and their geometry.
- Photogrammetry.
- Recent advances in aerial photography. Application of aerial photography in rock type identification.
- Image interpretation and digital processing techniques.
- Image characters and their relation with ground objects.
- Interpretation of topographic and tectonic features.

- Application of remote sensing in groundwater exploration.
- Application of remote sensing in terrain evaluation.
- Terrain evaluation for strategic purposes.

Mineralogy

- Crystal optics, pleochroism, interference and birefringence in minerals.
- Refractometry and its determination. Uniaxial and biaxial minerals.
- Dispersion in minerals, optic orientation, optical anomalies Universal stage and its use.
- Classification of silicate structure, systematic mineralogy of nesosilicates; olivine, Garnet and Al_2SiO_4 groups.
- Systematic mineralogy of Sorosilicates - Epidote group, and Zircon, topaz, staurolite, and sphene.
- Systematic mineralogy of Cyclosilicates-Cordierite, Tourmaline and Beryl.
- Systematic mineralogy of Ionosilicates- Pyroxene and Amphibole group.
- Systematic mineralogy of Tectosilicates- Silica, Feldspar, Felspathoid and Zeolite groups.
- Systematic mineralogy of Phyllosilicates – Mica, Chlorite, Serpentine group and Clay minerals, kaolinite and talc.
- Systematic mineralogy of carbonates, oxides and hydroxides.
- Mineral assemblages, Gem and Semiprecious stones.

Geochemistry

- Origin and abundance of elements in the Solar System and Earth.
- Atomic structure and properties of elements in the periodic table. Special properties of transition and Rare earth elements.

- Law of thermodynamics: concept of free energy, activity, fugacity and equilibrium constant. Thermodynamics of ideal, non-ideal and dilute solutions. Principles of ionic substitution in minerals.
- Geochemical classification of elements.
- Radiogenic isotopes. Radioactive decay schemes-U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, Systematics and growth of daughter isotopes. Radiometric dating of single minerals and whole rock.
- Stables isotopes: nature, abundance and fractionation.

Stratigraphy/Tectionics

- Concept of stratigraphy and its significance. Stratigraphic scales dual classification.
- Lithostratigraphy, correlation and stratigraphic code.
- Rule of stratigraphic nomenclature: Sequence stratigraphy. biostratigraphy and chronostratigraphy.
- Plate tectonics, Dynamic evolution of continental and oceanic crust.
- Evolution of sedimentary basins. Tectonics and sedimentation.
- Tectonics of Precambrian orogenic belts of India.
- Structure, origin and Evolution of Himalaya.

Igneous Petrology

- Evolution and modification of Magma.
- Phase equilibrium of single, binary, ternary and quaternary silicate systems, its relation of magma generation.
- Forms structures and textures of igneous rocks and their physicochemical characteristics.
- Criterion of classification of igneous rocks (IUGS).
- Petrogenesis of major igneous rocks types with reference to Indian occurrence.
- Tholeitic basalt and alkali olivine basalt.
- Granite and granodiorite.
- Peridotite, ultramafite, komatite.
- Syenite, carbonatite and lamprophyres.

Metamorphic Petrology

- Classification of metamorphic rocks, structures and facies series.
- Concept of depth Zone and metamorphic zones.
- Study of characteristic metamorphic zones and subfacies resulting from very low pressure and ultra high pressure metamorphism.
- Nature of metamorphic reactions and P-T condition of metamorphism. Isoreaction grad, and construction of petrogentic grids.
- Metromorphic differentiation. Anatexis and origin of migmatites.
- Regional metamorphism and paired metamorphic belts in reference to plate tectonics. P-T time paths and concept of inverted metamorphism.
- Principle types and characters of granitization.
- Petrogenesis of charnockite. amphibolites, eclogite, gondite, greenschist, khondalite and granulites with special reference to Indian occurrences.
- Concept of inverted metamorphism.

Sedimentology

- Earth surface system: Liberation and flux of sediments.
- Processes of transport and generation of sedimentary structures.
- Trace fossils, stromatolites and their significance.
- Textural analysis, Graphical representation and statistical treatment of grain size data and their significance.
- Classification of conglomerates, sandstone and carbonate rocks. Dolomite and dolomitization.
- Sedimentary environments and faceis.
- Continental: alluvial-fluvial facies, lacustrine, desert-aeolian and glacial sedimentary environments.
- Shallow coastal clastics and shallow water carbonates
- Marine and continental evaporites.
- Deep-sea basins. Paleocurrents and basin analysis.

- Clastic petrofacies. Paleoclimate and paleo environment analysis.
- Digenesis of mudstones, sandstone and carbonate rocks: Changes in mineralogy, fabric and chemistry.

Oregeology

- Modern concepts of ore genesis. Spatial and temporal distribution of ore deposits-a global perspective. Comparison between earth's evolutionary history and evolutionary trends of ore deposits.
- Concept of ore bearing fluids, their origin and migration.
- Texture, paragenesis, and zoning of ores and their significance.
- Wall rock alteration, structural, physico-chemical and stratigraphic controls of ore localization.
- Chemical composition of important ores-bulk chemistry, trace, elements and REE.
- Orthomagmatic ores of mafic-ultramfic associations- Diamond in Kimberlites, REE in Carbonatites, Chromite and PGE, Ni Ores, Cyprus type Cu-Zn Ores.
- Ores of Silicic igneous rocks, Pegmatoids, Greisen, Skarn.
- Porphyry association, Malanjkhand type Cu-Mo Ores.
- Ores of sedimentary affiliations-Chemical and clastic sediments. Stratiform and strata bound ore deposits (Fe, Mn, Non-ferous), Placers and paleoplacers.
- Ores of Metamorphic affiliation-Metamorphism of ores and ores related to weathered surfaces-laterite and bauxite.
- Mineralogy, genesis, uses and Indian distribution of ore minerals related to:
    - Pb, Zn
    - Fe,Mn Cr
    - W, Al
    - U and Th
- Mineral deposits of Uttarakhand.

Geochemical Exploration

- Definition, scope and characteristic features of prospecting and exploration. Guides for mineral search, surface and subsurface indicators. Regional, stratigraphic, lithological, mineralogical structural and geobotanical guides.
- Sampling and its methods. Assay value and grade of ore. Ore reserves. Ore reserve categories and estimation of ore reserves.
- Principles of geochemical prospecting. Geochemical and geobotanical surveys.
- Geochemical dispersion patterns and anomalies.

Geophysical Exploration

- Variation of gravity over earth surface. Gravity fields surveys. Preparation of gravity anomaly maps and their interpretation in terms of shape, size and depth of the ore deposits.
- Magnetic anomaly, magnetometer. Preparation of magnetic anomaly maps and their interpretation. Aeromagnetic survey
- Basic principles of resistivity methods. Various types of electrode configuration. Application of electrical methods in groundwater prospecting and civil engineering problems.
- Fundamental principles of wave propagation in seismic exploration method. Seismic velocity and interpretation of seismic data.
- Brief outline of various well-logging techniques. Principles of electrical logging and its application in petroleum, ground water and mineral exploration. Basic principles and instrumentation of radioactive mineral exploration.

Mining Geology

- Definition of various mining terms.
- Mining excavation.
- Ventilation and drainage in mining.
- Alluvial and open pit mining methods- advantages and disadvantages

- Underground mining methods- gophering, shrinkage, stoping, caving, slicing methods.
- Mining hazards.

Environmental Geology

- Concept of ecosystem/ecology.
- Impact of man on environment.
- Problems pertaining to mining and utilization of energy resources.
- Problems pertaining to urbanization.
- Problems pertaining to wasteland and wet lands.
- Earthquake-severity, distribution and occurrence.
- Natural and human induced causes of earthquakes.
- Land use planning in earthquake prone areas.
- Landslides- Their causes (natural and manmade) remedial measures and planning.
- Floods-physical characteristics, Origin and causes of flooding and cloud bursts.
- Prevention of soil cover loss.
- Human influence on climate and weather changes. Global warming and ozone layer depletion.
- Air pollution- acid precipitation, weather and climatic effects.
- Water pollution- Impact of waste disposal (Soil/liquid) on water quality degradation.
- Environment management-definition of problem and objectives.
- Role of the geologist in urban area planning
- Natural resource managements and natural hazards.
- Environmental policies of the country.
- Elementary idea of environmental laws.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

परिशिष्ट–3

सहायक भू–वैज्ञानिक एवं खान अधिकारी परीक्षा–2021 के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है :–

क्र.सं.	**आरक्षण की श्रेणी**	**निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)**
1	अनारक्षित	45%
2	अन्य पिछडा वर्ग	40%
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	35%

नोट– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

परिशिष्ट–4

निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है :–

1) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
2) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
3) दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष उपाधि/प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)
4) अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–5(1)/5(2),पर निर्धारित पद के प्रारूप के अनुसार।
5) अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र वांछित प्रारूप पर।
6) आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र।
7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र (Application) की संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्यापित प्रति।
8) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।
9) पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।
10) अभ्यर्थी की अंक–तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA,OGPA,SGPA etc.) में हो तो ग्रेड गणना को प्रतिशतता (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागु फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।

''परिशिष्ट–5(1)''

FORMAT

Experience Certificate for Assistant Geologist

Logo of Office (If available)

Name of Deptt./Office :...

Address of Deptt./Office :...

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Trust : ....

Telephone No. :..

Website :..

Dated : ....

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri/Smt.. is/was an employee of this Government/Semi-Government Department/Organization/Institution, Company/Firm/Society/Trust and duties performed by him/her during the period(s) are as under :

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting /Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign ....

(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

“परिशिष्ट–5(2)”

FORMAT

Experience Certificate for Mines Officer

Logo of Office (If available)

Name of Deptt./Office :..
Address of Deptt./Office :...
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Trust : ....
Telephone No. :..
Website :..

Dated : ....

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri/Smt.. is/was an employee of this Government/Semi-Government Department/Organization/Institution, Company/Firm/Society/Trust and duties performed by him/her during the period(s) are as under :

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting /Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign ....
(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

परिशिष्ट–6

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथाअथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम....................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.................................वर्ष.............................हेतु मान्य दिनांक.............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...
पुत्र/पत्नी/पुत्री..ग्राम/मुहल्ला..
पोस्ट ऑफिस..जिला.......................................पिन कोड..............................
उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..............................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी...जो कि.......................................जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम...
पदनाम...

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट–7

स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र में ग्रेडिंग (CGPA, OGPA,SGPA etc.) प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु

Ref. No./Letter No.- Date:-

प्रामाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. .... इस विश्वविद्यालय/संस्थान में विष्य/उपविष्य (Subject/Branch) ....में स्नातक/ स्नातकोत्तर हेतु पंजीकृत थे/थी, जिनका/जिनकी पंजीकरण संख्या... है।

इस विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र में प्रदान किये गये ग्रेडिंग को प्रतिशत अंक में परिवर्तन का सूत्र .... है। स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में ग्रेडिंग के समतुल्य प्राप्तांक.. .... प्रतिशत है।

कुलसचिव
(हस्ताक्षर व मुहर)

परिशिष्ट–8

स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में किया जाएगा–

क्रम सं0	नगर (जिला)
1	हल्द्वानी (नैनीताल)
2	हरिद्वार (हरिद्वार)

नोट– उक्त परीक्षा का आयोजन परिशिष्ट–8 के अनुसार हल्द्वानी व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु सीमित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उक्त परीक्षा का आयोजन मात्र हरिद्वार नगर में किया जायेगा।